

कार्यालय— अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
परिपत्र संख्या—वा0क0अधि0/बजट/वेतन एरियर/2429/2023::लखनऊ::दिनांक::जुलाई 05, 2023

सेवा में,

न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,
पीठ-1, आगरा/पीठ, अलीगढ़/पीठ-1, इलाहाबाद
पीठ, बरेली/पीठ झांसी/पीठ-1, कानपुर/पीठ-1, लखनऊ
पीठ-1/3, वाराणसी/पीठ-1, मेरठ/पीठ-1, गाजियाबाद
पीठ, गोरखपुर/पीठ-1, नोएडा।

कृपया रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1671/
Admin.(B-V)Section: Allahabad Dated 03-07-2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ
ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के
कार्यालय ज्ञाप सं0-359/दो-4-2023-45(1)/2020 दिनांक 30.06.2023 द्वारा दिनांक
01.01.2016 से न्यायिक अधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की वेतन सम्बन्धी
संस्तुति प्रदान की गई है। दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त/कार्यरत न्यायिक सदस्यों
के दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य वेतन एरियर का भुगतान किया जाना है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1671/
Admin.(B-V)Section: Allahabad Dated 03-07-2023 की छायाप्रति इस आशय से
प्रेषित की जा रही है कि दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य वेतन एरियर के अन्तर्गत कितनी
धनराशि का भुगतान किया जाना है, के सम्बन्ध वांछित सूचना तत्काल मुख्यालय प्रेषित करने
का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

ह0/ 05.07.2023

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. वेब अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि मा0 उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक
03.07.2023 की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. वरिष्ठ सहायक, (लेखा) मुख्यालय।

आज्ञा से

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।